जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

पेटेंट डिजाइन फाइलिंग प्रोसेस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

आज दिनांक 19 जनवरी 2023 को जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा की बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ एवं आइक्यूएसी के संयुक्त तत्वाधान में पेटेंट डिजाइन फाइलिंग प्रोसेस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सर्वप्रथम स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉ संजय भार्गव ने बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए पेटेंट व डिजाइन ऑफिस नई दिल्ली से पधारे अतिथियों का स्वागत किया व छात्राओं को इस कार्यक्रम का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात डॉ रघुराज परिहार सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा कोटा संभाग ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की संक्षिप्त व महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, तत्पश्चात कार्यक्रम की संयोजिका डॉ विजय देवड़ा ने कार्यशाला की रूपरेखा बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला । कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में पैटर्न डिजाइन ऑफिस नई दिल्ली से पधारे डॉ लक्ष्मी मीणा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को स्पष्ट किया तथा पेटेंट कराने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ जरूरी बातें जैसे पेटेंट करने के लिए फॉर्म की उपलब्धता फीस और उसकी वैधता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। महिला अभ्यर्थी सीधे ही एक्सपीडाइट प्रोसेस में आवेदन कर सकती है इसके लिए सबसे पहले सभी क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से भरकर पेटेंट ऑफिस में जमा कराने होते हैं। डॉ मीणा ने परीक्षण की प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया साथ ही पेटेंट के क्षेत्र में रोजगार के अवसर की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। द्वितीय सत्र में ट्रेडमार्क को विभिन्न उदाहरण द्वारा बहुत रोचक तरीके से समझाया गया और बताया कि ट्रेडमार्क की अवधि 10 साल की होती है इसे पुनः नवीनीकरण कर 10 साल बढ़ाया जा सकता है । नीतिगत अधिकार जैसे रॉयल्टी की समय सीमा के बारे में बताया। डॉ मीणा ने बताया कि कॉपीराइट के लिए जरूरी क्राइटेरिया जैसे कार्य ओरिजिनल एवं क्रिएटिव होना चाहिए और साहित्यिक कार्य म्यूजिकल वर्ड्स साउंड रिकॉर्डिंग वर्क आदि कॉपीराइट के तहत सुरक्षित किए जा सकते हैं । उसके स्कोप तथा आर्थिक अधिकार के बारे में भी जानकारी दी साथ ही टर्म ऑफ प्रोटेक्शन मैं 60 साल तक कॉपीराइट का अधिकार रहता है इसकी फीस भी न्यूनतम होती है जोकि मात्र ₹500 है । तत्पश्चात तीसरे सत्र में डॉ रीना राठौर ने अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे डिजाइन तथा भौगोलिक संकेतक के बारे में जानकारी दी। तथा डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए आवश्यक मानदंड के बारे में बताया और भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं और कितने भौगोलिक संकेतक भारत में रजिस्टर्ड हो सकते हो चुके हैं और भौगोलिक संकेतक द्वारा

स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने से उनके सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी साझा की। कार्यशाला के चोथे तकनीकी सत्र में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया व छात्राओं के सवालों का पेटेंट अधिकारी डॉ लक्ष्मी मीणा एवं रीना राठौर द्वारा संतोषप्रद जवाब देकर छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत किया गया। छात्राओं को साथ ही पेटेंट एवं डिजाइन क्षेत्र में रोजगार के अवसर एवं उनकी तैयारी किस तरह से की जाए के के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ जागृति मीना के द्वारा किया गया कार्यक्रम सयोजक समिति सदस्य निमिष कुमार एवं प्रीती बैरवा का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा | कार्यक्रम के अंत में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ एवं आइक्यूएसी समन्वयक डॉ शुचिता जैन द्वारा सभी अतिथि व प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया | कार्यक्रम में महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ. सरस्वती, डॉ.आरती शाह, डॉ. मनीषा शर्मा, गुरमीत सिंह, डॉ. जयश्री दावरे, डॉ. मोसमी मीना, डॉ. विकास जांगिड डॉ. सरिता खंडेलवाल, काजल कुमावत, कंचन कुमारी, अनीता मालव, ममता चौधरी एवं राखी मैथी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी |

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.13 15:40:04 +05'30'